



सार्वजनिक सूचना

दि.वि.प्रा. के समुदायिक हॉल और खाली भूमि को कोविड को कम करने के उद्देश्य से उपलब्ध करवाना।

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि.वि.प्रा.) समुदायिक हॉल (समुदायिक हॉल से सटी खाली भूमि सहित) का रख-रखाव करता है, जो सामान्यतया विवाह/ सामाजिक आयोजनों के लिए आम जनता के लिए उपलब्ध होते हैं। शहर में कोविड महामारी को संभालने / नियन्त्रित करने में संगठनों / आरडब्ल्यूए को सहायता प्रदान के दृष्टिकोण से, दि.वि.प्रा. ऐसे समुदायिक हॉल को लाइसेंस आधार पर, अधिकतम छह माह की अवधि हेतु, कोविड मैनेजमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर के रूप में उपयोग किए जाने हेतु प्रस्तावित करता है।

उपलब्ध समुदायिक हॉल की सूची, और लाइसेंस शुल्क सहित आवंटन हेतु निबंधन और शर्तें, दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

इच्छुक संगठन, आरडब्ल्यूए आदि, कोविड संबंधी सुविधाओं की स्थापना हेतु लाइसेंस आधार पर दि.वि.प्रा. के समुदायिक हॉल प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रारूप (दि.वि.प्रा. वेबसाइट पर उपलब्ध) में, आवेदन कर सकते हैं, इसके साथ जोन जिसमें वह समुदायिक हॉल आता है, के संबंधित अधीक्षण अभियंता (मुख्यालय), को सुरक्षा राशि जमा करनी होगी।

(ख) दि.वि.प्रा. कोविड महामारी को नियन्त्रित करने के लिए अतिरिक्त कोविड सुविधाओं / ऑक्सीजन प्लांट तथा अन्य सहायक सुविधाओं को स्थापित करने के लिए अस्पतालों / चैरिटेबल संस्थानों को अस्थायी लाइसेंस आधार पर (अधिकतम 6 माह के लिए) खाली भूमि के आवंटन हेतु प्रस्तावों पर भी विचार कर रहा है।

अस्थायी आधार पर ऐसे आवंटन हेतु नीति, आवंटन की निबंधन एवं शर्तें, आवेदन हेतु निर्धारित प्रारूप, लाईसेंस शुल्क सहित दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

अस्थायी आधार पर दि.वि.प्रा. और उसके आस-पास की खाली भूमि का आवंटन प्राप्त करने के लिए अस्पताल/ चैरिटेबल संस्थान उस जोन के संबंधित अधीक्षण अभियंता (मुख्यालय) को आवेदन कर सकते हैं जिसके अन्तर्गत वह भूमि आती है।

समुदायिक हॉल / भूमि का आवंटन, जहाँ तक संभव होगा, नीति में उल्लिखित प्राथमिकताओं के अधीन, 'पहले आओ, पहले पाओ' आधार पर किया जाएगा। दि.वि.प्रा. लाईसेंस की अनुमति प्रदान करने से पूर्व, आवेदक/वांछित उद्देश्य की सत्यता की जांच कर सकता है।

उप निदेशक (सांस्थानिक भूमि)

हमें फॉलो करें : @ddaoofficial @official_dda

डीडीए की वेबसाइट : www.dda.org.in देखें अथवा टोल फ्री नं. 1800110332 डायल करें